

15/07/21

अपीलांट स्वयं उप०। अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। जिसके कारण वह उक्त अपील को आगे नहीं चलाने चाहते हैं। अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना-पत्र को जरिये विज्ञोल प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी पहचान वकील अपीलांट द्वारा की गई। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली जरिये विज्ञोल खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो।

  
राजस्व वकील प्राधिकारी  
पाली



